

समाहरणालय , अररिया

(उत्पाद विभाग)

बन्दोवस्ती सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के शेष अवधि लिए अररिया जिला का अबन्दोवस्त देशी /मशालेदार शराब दुकान की 05 (पाँच) , विदेशी शराब दुकान की 02 (दो) एवं कम्पोजिट शराब दुकान की 09 (नौ) कुल 16 (सोलह)खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती लॉटरी प्रणाली द्वारा उत्पाद बिक्री अधिसूचना के कार्यालय ज्ञापांक 191 दिनांक 31.01.2014 में निहित शर्तों के अनुसार समाहरणालय सभा कक्ष में प्रत्येक वृहस्पतिवार को 11.30 बजे पूर्वाहन् समाहर्ता अररिया द्वारा की जायेगी ।

बन्दोवस्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन/कागजात,निर्धारित आवेदन शुल्क बन्दोवस्ती की तिथि से एक दिन पहले तक अधीक्षक उत्पाद अररिया के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

ह०

समाहर्ता
अररिया

ज्ञापांक-आर०-०१/बन्दो०/०१/२०१४ - 1254

दिनांक 25/6/14

प्रतिलिपि :- आयुक्त उत्पाद बिहार, पटना/ उपायुक्त उत्पाद दरभंगा-सह-कोशी-सह-पूर्णिमा प्रमंडल/अधीक्षक उत्पाद/किशनगंज/पूर्णिमा/कटिहार, आरक्षी अधीक्षक अररिया/ अनुमंडल पदाधिकारी , अररिया/ फारबिसगंज , सभी निरीक्षक उत्पाद, अररिया/ सभी अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद/ राष्ट्रीय सूचना प्रोद्योगिकी केन्द्र (N.I.C) को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित ।

21/6/14

समाहर्ता
अररिया